12/3/25 | वकील फरीकेन उप०। डाक पत्रावली। फरीकान बिना जरिए दावा वादी खारिज किया जाता है। [illegible] निर्णय इसके से लिखाया जाकर शामिल [illegible] पत्रावली फैसल हुआ होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:32:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना, आर.ए.एस.

उनवान

जगदीश पुत्र रामजीलाल उम्र 59 साल जाति आदि गौड ब्राहम्ण निवासी करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

बनाम

मुस0 मेहरो उर्फ मोहरबाई पुत्री गुलाबचन्द पत्नि दुर्गालाल जाति आदि गौड निवासी गुनेसरा तहसील करौली जिला करौली (मृतक)

1. भरोसी पुत्र दुर्गालाल उम्र 65 साल जाति आदि गौड निवासी गुनेसरा हाल शुक्ला कॉलोनी करौली
2. कैलाश पुत्र दुर्गालाल उम्र 50 साल
3. संजय पुत्र दुर्गालाल उम्र 45 साल
   सभी जाति आदि गौड ब्राहम्ण निवासी ग्राम गुनेसरा हाल निवासी गोमती कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, करौली
5. सब रजिस्ट्रार करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 88, 92 ए एवं 188 आरटीएक्ट

मुकदमा नं. 42/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री दिनेश कुमार बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री मुकेश कुमार शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमा मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.08.2025 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज

Signature Not Digitally signed by
Date: 2025.11.07
Reason: SelfAttes

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–42 / 2021 तारीख रजु:–12.11.2021

उनवान

जगदीश पुत्र रामजीलाल उम्र 59 साल जाति आदि गौड ब्राहम्ण निवासी करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

बनाम

मुस0 मेहरो उर्फ मोहरबाई पुत्री गुलाबचन्द पत्नि दुर्गालाल जाति आदि गौड निवासी गुनेसरा तहसील करौली जिला करौली (मृतक)

1. भरोसी पुत्र दुर्गालाल उम्र 65 साल जाति आदि गौड निवासी गुनेसरा हाल शुक्ला कॉलोनी करौली
2. कैलाश पुत्र दुर्गालाल उम्र 50 साल
3. संजय पुत्र दुर्गालाल उम्र 45 साल
   सभी जाति आदि गौड ब्राहम्ण निवासी ग्राम गुनेसरा हाल निवासी गोमती कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, करौली
5. सब रजिस्ट्रार करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

अभिभाषक:–
वादीगण:–श्री दिनेश कुमार बंसल, एडवोकेट
प्रतिवादीगण:–श्री मुकेश कुमार शर्मा, एडवोकेट

वाद पत्र धारा 88, 92 ए एवं 188 आरटीएक्ट

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem P
Date: 2025.11.07 10:32:0
Reason: SelfAttested

–::निर्णय::– दिनांक: 12.08.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नंबर 4541 रकबा 5, खसरा नंबर 4542 रकबा 05 बिस्वा किस्म चाही, खसरा नंबर 4543 रकबा 01 बिस्वा चाह, खसरा नंबर 4544 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 4545 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 4546 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 4547 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 4548 रकबा 01 बिस्वा गैर0

मु0 चाह, खसरा नंबर 4549 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 45551 रकबा 03 बिसवा, खसरा नंबर 4552 रकबा 01 बिस्वा गै0मु0 आबादी किता 11 कुल रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा स्थित कस्ब करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली में है। वादपत्र में पैरा नंबर 1 में दर्ज भूमि में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की माता मु0 मेहरो उर्फ मोहरबाई की हिस्सा 1/8 भूमि खातेदारी की है इन आराजीयात में वादी वादीगण व अन्य व्यक्तियों के साथ खातेदार है। मेहरो पुत्री गुलाबचन्द स्त्री दुर्गालाल रिश्ते में मेरी बहन है मेरे पिता के खास भाई गुलाब की पुत्री है। वादी का नाम व प्रतिवादी 1 लगायत 3 की माता मेहरो का नाम जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज है। मेहरो के पिता गुलाब की मृत्यु के बाद वादी ही मेहरों को मानता चीनता आ रहा है और भात जमाने देता आ रहा था। गुलाब के कोई पुत्र नहीं थ वादी समय–समय पर आर्थिक मदद भी करता रहा है। मेहरो भी मुझ वादी के व्यवहार से प्रसन्न थी। उसने मेरे हम में वादपत्र में दर्ज आराजीयात में से आपने हक हिस्से की भूमि का खातेदारी अधिकार का हक त्याग दिनांक 04.06.2010 को वमुकाम करौली में कर दिया और मु0 मेहरो ने मेरे हक में दिनांक 04.06.2010 के दिवस ही वमुकाम करौली में एक सौ रूपये के नॉन ज्याडिशियल स्टाम्प पर हक त्याग पत्र तहरीर तकमील संलग्न दो पेपर्स पर कर दिया और मेहरो ने अपनी अंगूठा निशानी कर दी। हक त्याग पत्र का ड्राफ्ट नगेश बंसल एडवाकेट करौली द्वारा तैयार किया और टाईप कराया और नगेश बंसल ने अपने हस्ताक्षर किये थे व गवाहान प्रकाश पुत्र पून्याराम औद गौड एवं रामेश्वर मीना ने अपने हस्ताक्षर किये थे। उक्त हक त्याग पत्र को नोटेरी पब्लिक उमेशपाल जी से अनुप्रमाणित कराकर मुझ वादी को सुपुर्द कर दिया। उक्त हक त्याग पत्र राजीखुशी से सुनकर, समझकर बिना किसी दबाव के स्वस्थचित्त से मुझ वादी के हक में निष्पादित किया है। हक त्याग पत्र पर अपने अंगूठा निशानी मोहरों ने की है और हक त्याग पत्र से पूर्व भी मैं वादी ही मेहरो के हिस्सा की भूमि को काश्त करता आ रहा था मेरे हक में मेहरो ने भूमि से अपने समस्त हक हकूक खातेदारी अधिकार त्याग कर समस्त हक हकूक खातेदारी काश्तकारी अधिकार मुझ वादी को दिये है और मेहरों ने अपने हक त्याग पत्र में मुझको आराजी का नामांतकरण खुलवाने के भी अधिकार प्रदान किये है। उक्त हक त्याग पत्र वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। लिखापढी के समय जीवराज द्वारा बंटवारा वाद पेश कर रख था स्थगन दर0 पेश की हुई थी और न्यायालय से जीवराज ने स्थगन प्राप्त कर रखा था। इस कारण हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड नहीं हो सका था। अब

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:32:0
Reason: SelfAttested

माह अक्टूबर 2021 में जीवराज व भौरोलाल ने अपना वाद जीवराज बनाम भैरोलाल एवं अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन वापिस ले लिये। न्यायालय से खारिज करा लिये है। मुस0 मेहरो पुत्री गुलाबचन्द जो प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 की माता है उसका भी स्वर्गवास हो गया है और प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 3 के दिल में बदयान्ति आ रही और वह मेहरों के नाम खातेदारी इन्द्राज जमाबंदी में है और मुझ वादी के हक हकूक की मेहरो से प्राप्त भूमि हक त्याग पत्र में है। उसका नामांतरण अपने नाम कराकर दीगर व्यक्तियो भूमाफियाओं को विक्रय करने पर आमादा हो रहो है। इसलिये यह वाद पत्र प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। खातेदार मेहरों पुत्री गुलाब जो मेरे पिता के भाई की पुत्री है। जिसने मुझको दर्ज वादपत्र भूमि में से अपना खातेदारी अधिकार त्याग कर मुझको दिया है जिसको मैं काश्त करता चला आ रहा हूं, मेरा कब्जा है। भूमि में मुझको अपने हक में नामांतकरण कराकर खातेदारी दर्ज कराने का अधिकार दिया है और मुझको अपने हक हिस्से खातेदारी की भूमि पर कब्जा बतौर खातेदारी अधिकार त्याग कर प्रदान किया है और में दिनांक 04.06.2010 के दिवस से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा हूं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का मेहरो के जीवनकाल से कब्जा नहीं है। हक त्याग पत्र दिवस से पूर्व में वादी ही मेरो के हिस्से कीभूमि को कात करता आ रहा हूं यह तथ्य भी मुस0 मेहरों पुत्री गुलाब द्वारा स्वीकृत है। मैं मुस0 मेहरो के हक हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार हूं। मुस0 मेहरो के खातेदारी अधिकार का अवसान हो चुका है। मैं वादी विधि अंनुसार खातेदार काश्तकार हो चुका हूं। मेरा कब्जा मेहरो के हिस्से की भूमि पर अर्सा 20 साल से लगातार चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का कब्जा वापिसी अधिकार भी मियाद बाहर हो चुका है, समाप्त हो चुका है। न्यायालय द्वारा मुझ वादी के हक में खातेदार अधिकार की घोषणा किया जाना न्यायोचित है और राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में मेरे हक में मेहरो के स्थान पर खातेदारी इन्द्राज जमाबंदी में किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने वादी के हक में मेहरो द्वारा किये गये हक त्याग पत्र भूमि का नामांतकरण कराकर भूमि को भूमाफियाओं को विक्रय करने की हस्तांतरण करने की एलानिया 10.2021 के दिवस कस्बा करौली में दी है जो यह कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अनाधिकार है जिससे हक हकूक वादी पर आघात है। वादी को अपूर्णीय क्षति होगी भारी असुविधा होगी। न्याय हित में वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 5 सब रजिस्ट्रार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3

Signature Not Ve
Digitally signed by Pre
Date: 2025.11.07 10:
Reason: SelfAttested

नामांतकरण कराकर भूमि को भूमाफियाओं को हस्तांतरण करने पर आमादा है। हस्तांतरण दस्तावेज पंजीयन नहीं करें इस हेतु पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 31.10.2021 के दिवस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा विवादित भूमि का अनाधिकार तौर पर नामांतकरण कराकर भूमि हस्तांतरण करने की, दस्तावेज हस्तांतरकण पंजीयन कराने की जबरन भूमि से वादी को बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी है। वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाकर वादी को वादपत्र के पैरा संख्या 1 खसरा नंबर 4541 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 4542 रकबा 5 बिस्वा किस्म चाही, खसरा नंबर 4543 रकबा 01 बिस्वा चाह, खसरा नंबर 4544 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 4545 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 4546 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 4547 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 4548 रकबा 01 बिस्वा गैर मु0 चाह, खसरा नंबर 4549 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 4551 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 4552 रकबा 1 बिस्वा गै0 मु0 आबादी किता 11 कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली दर्ज वाद पत्र पैरा नंबर 1 में मस0 मेहरो पुत्री गुलाबचन्द जाति आदि गौड निवासी करौली का जो हिस्सा हक हकूक खातेदारी भाग 1/8 रहा है इस भूमि भाग का वादी को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के हक में मुस0 मेहरो के स्थान पर खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड आफ राईट्स जमाबंदी में दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी को भूमि विवादित से जबरन बेदखल नहीं करे एवं विवादित भूमि को विधि की किसी भी रीति नीति से वादी के अलावा दीगर व्यक्ति के हक में हस्तांतरण, रहन, वय आदि नहीं करे एवं हस्तांतरण दस्तावेज पंजीयान नहीं करे ना करावे वादी के कब्जे में व्यवधान नहीं करे। अन्त में दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश कर कथन किया है कि वादी पत्र का पैरा नंबर में दर्ज आराजीयात का कस्बा करौली तहसील करौली होना सही है स्वीकार है। वादपत्र का मद नंबर 2 सही है स्वीकार है। वादपत्र का मद नंबर 3 जिस तर लिखा गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। वादी द्वारा मेहरो को भात जामने देने वाली बात बिलकुल असत्य दर्ज की है। मुझ प्रतिवादी नंबर 1 व 2 की शादी के समय वादी नाबालिग था। मृतक मेहरो अपने जीवनकाल में आर्थिक समय अपने पुत्र प्रतिवादीगण के साथ मुम्बाई में निवास करती थी सही बात यह है कि वादी मृतक मेहरो के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ था वादी व

Signature Not Ve
Digitally signed by Pre
Date: 2025.11.07 10:
Reason: SelfAttested

मृतक मेहरो के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ था। वादी व मृतक मेहरो का कभी भी किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा है मृतक मेहरो द्वारा वादी के हक में कोई हक त्याग पत्र तहरीर नहीं किया। कथित हक त्याग पत्र फर्जी व कूटरचित व अन रजिस्टर्ड है व कूटरचित व फर्जी हक त्याग पत्र के गवाहान वादी के मेली व्यक्ति है व अनरजिस्टर्ड दस्तावेज साक्ष्य में ग्राही नहीं है। कथित कूटरचित हक त्याग पत्र का स्टाम्प भी मेहरो द्वारा खरीद नहीं किया गया है। उक्त फर्जी स्टाम्प जरिये वकील खरीद किया गया है व नोटरी द्वारा उक्त फर्जी हक त्यागपत्र को प्रमाणित करने का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है नाही नोटरी पब्लिक द्वारा उक्त विवादित दस्तावेज का अपने नोटरी रजिस्टर्ड में अंकन नहीं किया गया है जिससे नोटरी पब्लिक के समक्ष मृतक मेहरो की उपस्थिति साबित नहीं है। इसलिये दावा ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है मृतक मेहरो के पति का मई 1987 को देहान्त हो गया था। इसलिए इस मद में यह दर्ज करना कि वर्ष 2010 में मृतक अपने पति के साथ अपनी ससुराल में निवास कर रही है बिलकुल असत्य दर्ज किया है इसलिये दावा वादी खारिज होने योग्य है। वादपत्र का मद नंबर 4 जिस तरह लिखा है गलत है स्वीकार नहीं है। विवादित हक त्यागपत्र में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है कि विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय से स्थगन होने के कारण हक त्याग पत्र का पंजीयन नही हो सका और यदि विवादित आराजी पर यदि कोई स्थगन के दौरान कोई बेचान या हस्तान्तरण किया गया है तो वह स्वतः नल एण्ड बोईड है। और इस हस्तान्तरण पत्र के आधार पर कोई अधिकार वादी को प्राप्त नहीं होते है। हक त्यागपत्र फर्जी व कूटरचित साजिश पूर्ण है। वादपत्र का मद नंबर 5 जिस तरह लिखा है गलत है स्वीकार नहीं है। असलियत विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है। मेहरो की मृत्यु दिनांक 17.8.2014 को हो जाने के पश्चात नियमानुसार हम जबाबदारान के नामान्तकरण दिनांक 13.12.2021 को खोलगया जिसके संबंध में वादी द्वारा कोई ऐतराज व आपत्ति नहीं की गई नाही कोई आपत्ति दर्ज की गयी है। वर्तमान में जमीनों की कीमत बढ जाने के कारण वादी के दिल में बदयान्ति आ गयी है व उसने अनुचित प्रभाव व मेली व्यक्तियों से साज कर यह फर्जी व कूटरचित दस्तावेज हक त्याग पत्र हम प्रतिवादीगण को नाजायज तौर पर तग व परेशान करने को यह झूठा वादपत्र पेश किया है हम प्रतिवादी जबाबदार नंबर 1 से 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का भी पंजीयन करा दिया है जो वादी की जानकारी मे है। जिसे वादी ने छिपाया

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2025.11.07 10
Reason: SelfAttested

है। इसलिये यह दावा वादी लगर होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादी वादी द्वारा सभी सह खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है। इसलिये दावा वादी खारिज होने योग्य है। वादपत्र के मद नंबर 6 जिस तरह लिखा गया है वह गलत है स्वीकार नहीं है मृतक मेहरो के जीवनकाल में विवादित आराजी मे उसका हक था एवं उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी में हम प्रतिवादी के हक हकूक रहे है एवं हमारा ही कब्जा रहा है वादी का वह कथन कुल गलत व असत्य दर्ज किया है कि मृतक मेहरो द्वारा समस्त हकहकूक वादी को संभलवाया हो उक्त आराजी कभी काश्त नहींरही वादी द्वारा नामान्तरकरण के संबंध में कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई उक्त आराजी अविभाजित है और वादी भी उक्त आराजी में खातेदार हिस्सेदार है इसलिये दिनांक 4.6 2010 से काबिज होने वाली बिलकुल गलत है दावा वादी खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का मद नंबर 7 जिस तरह लिखा गया है वह गलत है। दिनांक 31.10.2021 को धमकी देने वाली बात बिलकुल गलत व असत्य दर्ज की है वादी कोई स्थायी निषेधाज्ञा जबावदारान के विरूद्व प्राप्त करने का कानूनन हकदार व अधिकारी नहीं है। दावा वादीगण खाजिर होने योग्य है। दावा वादी मियाद बहार होने से खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आराजी को हडपने के नीयत से गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया गया है जो हरहालत में खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा हक त्याग पत्र के आधार पर दावा पेश किया गया है। वह फर्जकारी से तैयार कर पेश किया है। हम प्रतिवादीगण जबावदारान की मां मेहरो उर्फ मोहरो द्वारा वादी के हक में कभी भी कोई हक त्यागपत्र तहरीर व तकमील नहीं किया गया है। उक्त हम त्याग पत्र वादीगण ने अपने मेली व्यक्तियों से साज कर फर्जकारी से तैयार किया है हम जबावदारान प्रतिवादीगण मां मेहरो ने कभी भी वादी के हक में हम त्यागपत्र तहरीर तकमील नहीं किया या ना कभी उसे कोई परिसर में आकर स्टाम्प खरीद किया। विवादित हक त्याग पत्र के दो स्टाम्प बेंडर से खरीद नहीं किये गये है वह जरिये नगेश बंसल एडवोकेट वादी ने खरदी किये गये थे एवं हक त्यागपत्र अन रजिस्टर्ड [illegible] साक्ष्य में ग्राहम्य किये जाने योग्य नहीं है वादी एडमीशन [illegible] जिसके आधार पर कोई हक हकूक वादीगण को प्राप्त नहीं होते है ना ही विवादित हक त्याग पत्र पर हमारी मां की अंगूठा निसानी है नोटरी पब्लिक द्वारा मात्र विवादित हक त्याग पत्र को अटेस्टेड किया है नोटरी पब्लिक के पर किसी के पहचान कर्ता के हस्ताक्षर किये है ना ही नोटरी पब्लिक को हक त्याग पत्र अटेस्टेड करने का अधिकार है गवाह प्रकाश वादी का रिश्तेदार व

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2025.11.07 10
Reason: SelfAttested

रामेश्वर मित्र है। हम प्रतिवादीगण जबावदारान दोनो की मां के द्वारा भी हमें उक्त हक त्याग पत्र के बारे में नहीं बताया था हम प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त है। वादी द्वारा फजीयत करके झूठा वाद पत्र पेश किया है। जो हर हालत में खारिज होने योग्य है। उक्त आराजीयात के संबंध में पूर्व में एक वादपत्र न्यायालय श्रीमानजी में जीवराज बनाम भौरोलाल दावा नंबर 143/2008 दिनांक 12.08.2008 को पेश हुआ था जिसमें वादी द्वारा दिनांक 7.6.2009 को उक्त दावे के प्रति उत्तर में जबाव पेश किया गया था उसमें भी वादीगण द्वारा मृतक मेहरो के हिस्से की आराजीयात बाबत कोई स्पष्ट जबाव अपनी ओर से नहीं किया गया है। वादी मृतक मेहरो की हिस्से की भूमि पर अकेला हीकाबिज है। यह अभिकथित नहीं है या गया है। इसके पश्चात दिनांक 12.8.2021 को विवादित आराजी के संबंध में एक दावा उनवानी भैरोलाल बनाम जगदीश मुकदमा नंबर 15/2021 पेश हुआ। जिसमें दिनांक 27.10.22 को वादी भैरोलाल व प्रतिवादी जगदीश के बीच राजीनाम मय नक्शा के पेश हुआ था जिसमें प्रतिवादी द्वारा अपने हिस्से कब्जे की भूमि को नक्शे में दर्शाते हुये राजीनामा पेश किया था। उक्त राजीनामा में श्रीमान द्वारा मृतक मेहरो के द्वारा वादी के हक में हिस्से किये गये विवादित हक त्याग पत्र का कोई उल्लेख नहीं किया था वादी ने राजी नामा पेश करते समय विवादित फजी हक त्यागपत्र दिनांक 4.8.2010 छिपाया है वादीद्वारा पेश राजीनामा दिनांक 27.10.22 वादी का स्वीकृत्य तथ्य है वह वादी पर बाध्यकारी है इसलिये उक्त फर्जी हक त्याग पत्र के आधार पर पेश दावा ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है। दावा वादी घोषणा खातेदारी का और घोषणा खाते दारी के दावे में मुताबिक कानून सभी खातेदार को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा सभी खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसलिये मुताबिक टीनेन्सी एक्ट दावा वादी चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है। इसलिये भी दावा वादी खारिज फरमाया जावे। अन्त में दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2025.11.07 10:3
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण ने दौराने सुनवाई प्रकरण मे प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पेश किया जिसमें प्रतिवादी ने कथन किया है कि खसरा नंबर 4541 लगायत 4549, 4552 कुल किता 11 कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का 9 तहसील करौली वादी की खातेदारी की नहीं है। वादी द्वारा अनरजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर दावा पेश किया गया जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को

नहीं हो सिविल न्यायालय को है। इसलिए दावा वादी खारिज किया जाता है।

वादी ने प्रार्थना–पत्र का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी द्वारा सही दावा पेश किया गया है। हक त्याग पत्र विधिवत है जिसके संबंध में दावा सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को ही है इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थियान प्रतिवादीगण खारिज किया जावे।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण सुनी गयी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा यह दावा अनरजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर घोषणा खातेदारी का पेश किया है जबकि हक त्याग पत्र दिनांक 4.6.2010 अनरजिस्टर्ड है। जिससे वादी को भूमि में खातेदारी अधिकार विधि अनुसार प्राप्त नहीं होते है। इस संबंध वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। इस प्रकार दावा वादी क्षेत्राधिकार विहिन होने से चलने योग्य नहीं है और इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:32:01
Reason: SelfAttested